I/431052/2023

उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या-35/2023/1697/ सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1

लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2023

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्याः 32/2023/1442/ सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1 दिनांक 20.11.2023 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-5 में त्रुटिवश "कुल रू0 288.254 लाख (रू0 दो करोड अटठासी लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र)" के स्थान पर "कुल रू0 288.254 लाख (रू0 दो करोड अटठासी लाख दो हजार पाँच सौ चालीस मात्र)" अंकित हो गया है।उक्त शासनादेश संख्या 32/2023/1442/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1 दिनांक 20.11.2023 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-5 में अंकित "कुल रू0 288.254 लाख (रू0 दो करोड अटठासी लाख दो हजार पाँच सौ चालीस मात्र)" के स्थान पर " कुल रू0 288.254 लाख (रू0 दो करोड अटठासी लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र)" पढा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 20.11.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

Signed by हरीश कुमार
(हरीश कुमार)
Date: 21-11-2023 13:20:15
Reason: Approved
अनुसचिव

संख्या- /1697 (1)/सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. - मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. - संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. - वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. - सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. - वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. - गार्ड फाइल